उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–3
संख्या–695ए/77–3–2008–34एम/07 टी0सी
लखनऊः दिनांक 28 फरवरी, 2008
कार्यालय ज्ञाप

ग्रेटर नोएडा–से–बलिया तक 08 लेन प्रवेश नियत्रिंत एक्सप्रेसवे के निर्माण सहित कतिपय लिंक एक्सप्रेस–वेज के स्वामित्व एवं तत्सम्बंधी कार्यवाही हेतु गठित 'उ0 प्र0 एक्सप्रेस–वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण' (यूपीडा) को तदनुसार कार्यवाही करने हेतु कतिपय अन्य एक्सप्रेस–वेज हेतु भी राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कर दिया गया है। उक्त एक्सप्रेसवेज निम्नानुसार हैः–

i) गाजियाबाद से सहारनपुर होते हुए यमुना या हिण्डल नदी के तट पर मोहान्द (उत्तराखण्ड –उत्तर प्रदेश की सीमा) के समीप तक।
ii) बिजनौर–मुरादाबाद– फतेहगढ़ तक (रामगंगा के तट सहित)
iii) प्रदेश की दक्षिणी सीमा से पूर्वी सीमा तक : झॉसी–कानपुर –लखनऊ–गोरखपुर – कुशीनगर तक (बेतवा व घाघरा नदियो के तटों सहित)
iv) लखनऊ–बाराबंकी–नानपारा लिंक।
v) आगरा से कानपुर तक (यमुना नदी के तट सहित)

2– अतः उक्त एक्सप्रेस–वेज के सबंध में भी तकनीकी एवं वित्तीय सम्भावयता तलाशने सहित आवश्यकतानुसार उक्त एक्सप्रेस–वेज के स्वामित्व एवं पी.पी.पी. आधार पर कियान्वयन हेतु 'परामर्शी चयन', 'विकासकर्ता चयन' सहित अन्य समस्त कार्यवाही हेतु 'यूपीडा' को नोडल संस्था नामित करते हुए प्रकिया में सहायता हेतु 'परामर्शी मूल्यॉकन समिति' का निम्नानुसार गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1–	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	अध्यक्ष
2–	प्रमुख सचिव, न्याय विभाग	सदस्य
3–	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4–	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग	सदस्य
5–	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
6–	प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग	सदस्य
7–	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास विभाग	सदस्य
8–	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग	सदस्य
9–	प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग	सदस्य
10–	प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना विकास विभाग	सदस्य
11–	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा	सदस्य संयोजक

2– उक्त समिति इस संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या –1684/77–6–2007–एलसी–21/2007, दिनांक 29 जून 2007 में उल्लिखित दिशा निर्देशो के अनुरूप कार्य करेगी।

अतुल कुमार गुप्ता
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त

संख्या व दिनांक तदैव

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– स्टाफ आफिसर, मंत्रि मण्डलीय सचिव।
2– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
3– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4– उपरोक्त समिति के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण।
5– गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
ह0/–
(अर्चना अग्रवाल)
सचिव